भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5049
31मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ)

5049. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन वैज्ञानिक संवाद, 2023 का आयोजन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संवाद में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस पर किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई है;
(ग) सरकार के समक्ष एक वर्ष में 15,000 से अधिक प्रत्यारोपण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) क्या यह सच है कि सरकार के पास 640 मेडिकल अस्पताल और कॉलेज होने के बावजूद प्रत्यारोपण केवल कुछ अस्पतालों तक ही सीमित एक विशिष्ट सेवा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड) सरकार द्वारा देश भर में उन संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जहां सर्जरी और प्रत्यारोपण किए जा सकते हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 19.02.2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन वैज्ञानिक विमर्श 2023 का आयोजन किया है। इस विमर्श में कुल 519 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- गुर्दा प्रत्यारोपण/यकृत प्रत्यारोपण/फेफड़े का प्रत्यारोपण/हृदय प्रत्यारोपण/हाथ प्रत्यारोपण/त्वचा बैंक/नेत्र बैंक संबंधी चुनौतियां और भावी समाधान।

- भारत में मृतक दान कार्यक्रम।
- अंग दान के लिए आपातकालीन विभाग में आपात, बाल चिकित्सा और बर्न इंजरी रोगियों के पास जाना।
- आपातकालीन विभाग में ट्राइएज लागू करना।

(ग) से (च): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। चिकित्सा अस्पतालों और कॉलेजों में प्रत्यारोपण सुविधाओं को विकसित करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विषय है। तथापि, भारत सरकार देश भर में अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) कार्यान्वित कर रही है। देश में अंग अधिप्राप्ति तथा वितरण की एक दक्ष एवं सुसंगठित प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एक तीन स्तरीय ढांचे का गठन किया गया है। इसमें नई दिल्ली स्थित एक शीर्ष स्तर का राष्ट्रीय अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) तथा चंडीगढ, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता एवं गुवाहाटी स्थित पांच क्षेत्रीय अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) तथा बीस राज्यों में, राज्य अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) शामिल है। एनओटीपी के तहत, राज्यों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा सके जहां सर्जरी और प्रत्यारोपण हो सके।

अंग दान/प्रत्यारोपण के संबंध में, भारत सरकार के सामने प्रमुख चुनौती देश में इस विषय पर जागरूकता की कमी है। सरकार अंगदान के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इनमें राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत स्थापित तीन स्तरीय संरचना एनओटीटीओ, आरओटीटीओ और एसओटीटीओ द्वारा सूचना का प्रसार; www.notto.gov.in वेबसाइट; सूचना, टेली-परामर्श प्रदान करने और अंग दान के लिए समन्वय में मदद करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ एक 24x7 कॉल सेंटर शामिल है; जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, जैसे सालाना भारतीय अंग दान दिवस मनाना, सेमिनार, कार्यशालाएं, वाद-विवाद, खेल कार्यक्रम, वॉकथॉन, मैराथन में भागीदारी, नुक्कड़ नाटक, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 में जागरूकता स्टाल आदि; प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति अस्पतालों में आईसीयू और अन्य महतावपूर्ण स्थानों के बाहर अंग दान संबंधी डिस्प्ले बोर्ड; प्रिंट मीडिया में विज्ञापन; सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चैनल), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से श्रव्य और श्रव्य-दृश्य संदेशों का प्रसार; स्कूली बच्चों के साथ नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे उन्हें अंगदान के बारे में ज्ञान देने के लिए एनओटीटीओ अभियान की यात्रा और पोस्टर बनाने आदि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना आदि है। सरकार ने मृतक दाता से अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के पंजीकरण के लिए राज्य में मूल निवास संबंधी आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, नए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की पात्रता के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है। अब, किसी भी आयु का व्यक्ति मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है।

*****